**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्‍चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 41**

**उत्तर देने की तारीखः 24.11.2014**

**व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के**

**छात्रों को शुल्क से छूट दिया जाना**

**41. श्री टी॰ के॰ रंगराजनः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों समेत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश के समय शुल्क भुगतान से छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार की ओर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का भुगतान करने से छूट दिए जाने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

**(**प्रो0 (डॉ0) राम शंकर कठेरिया)

**(क) से (घ): जी नहीं। स्‍ववित्‍तपोषित महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में व्‍यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रवेश के समय फीस देने से छूट नहीं मिली है। तथापि, इस मंत्रालय ने उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों से प्रवेश के समय कोई शुल्‍क नहीं लेने के बारे में सभी केन्‍द्रीय वित्‍तपोषित तकनीकी संस्‍थाओं को निर्देश जारी किए हैं जो पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/शीर्ष स्‍तरीय छात्रवृत्ति के पात्र हैं।**

**\*\*\*\*\***